

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री सुगरी मीणा प्रधानाचार्य राबाउमावि, मानपुर-सिकराय (दौसा)	09.02.59	15.07.92 व्याख्याता	14.07.12 20 वर्ष	15.07.12 द्वितीय	15600-39100 6600/-
02	श्री ईश्वर दयाल प्रधानाचार्य, राआउमावि, छान्देल कलां (जयपुर)	01.04.61	15.07.86 व0अ0	14.07.16 30वर्ष	15.07.16 तृतीय	15600-39100 6800/-
03	श्री भवानीसिंह प्रधानाचार्य, राउमावि, फलोदी (जोधपुर)	19.11.60	14.08.84 व0अ0	13.08.14 30 वर्ष	14.08.14 तृतीय	15600-39100 6800/-
04	श्रीमती बबीता राजावत प्रधानाचार्य, राआउमावि, दुर्जनियावास (जयपुर)	02.08.71	14.05.98 व्याख्याता	13.05.18 20 वर्ष	14.05.18 द्वितीय	पे मैट्रिक लेवल एल-17

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



(नथमल डिडेल)

आईएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कृ0प0उ0-2

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018-19/48
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 26-02-19

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय)
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0 स0
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5-रक्षित पत्रावली।


26-2-19
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।